

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./95/09/1343

भोपाल,दिनांक 24/10/09


//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में व्याख्याता (व्याव.शिक्षा) के पद सहित तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह स्थानान्तरण स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर किये जा रहे हैं अतः इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादी की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री जसवंत सिंह चौधरी (व्याव. शिक्षा धरलू उपकरण विद्युत सुधार)	अप्राप्त	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. खिरकिया जिला हरदा	2336037702	शास.बा.उ.मा.वि. इटासी जिला होंशगाबाद	2337037700

“प्रशासकी अनुभेदन अनुसार”




लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 24/10/09

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./95/09/1344
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक नान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला हरदा/ होंशगाबाद।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला हरदा/होंशगाबाद।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय होंशगाबाद।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला हरदा/होंशगाबाद।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला हरदा/होंशगाबाद म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।



लोक शिक्षण म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./66/09/1349

भोपाल,दिनांक 26/11/09

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं देतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पान्यता नहीं होगी।

स. क.	नाम	यूनिक आई.डी. कमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री विनोद अनिल कुमार (अर्थशास्त्र)	AH 4869	शास.क.उ.मा.वि. चौन्ई जिला छिन्दवाडा	23431177701	शास.क.उ.मा.वि. अमरवाडा जिला छिन्दवाडा	23430977703
2	श्रीमती बदना खादीकर (अर्थशास्त्र)	AH 3271	शास.उ.मा.वि. कामठी जिला छिन्दवाडा	23430277707	शास.एम.एल.वी.उ. मा.वि.छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा	23430177701


प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

पृष्ठा कमांक/स्था.2/सी/व्या./स्था./66/09/1350
प्रतिलिपि--


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल,दिनांक 26/11/09

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला छिन्दवाडा।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाडा।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला छिन्दवाडा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाडा। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संचालनालय को तत्काल भेजे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था0-2/सी/व्या/स्थाना./66/09/1351

भोपाल दिनांक 26/1/09

// संशोधन आदेश //


संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था-2/राज/सी/व्या/स्थाना./66/09/1134-1135, दिनांक 16.9.2009 के सरल क्रमांक 3 पर अंकित कल्पना पुरन्दरे व्याख्याता (राजनिति) की वर्तमान पदस्थापना संस्था का नाम शास.उ.मा.वि.ताजपुर जिला-उज्जैन अंकित है। उक्त वर्तमान कार्यरत संस्था शास.मा.वि.क्रमांक-3 कर्नलगंज जिला गुना पढा जावे।
2/ शेष आदेश यथावत रहेगा।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ क्रमांक/स्था0-2/सी/व्या/स्थाना./66/09/1352
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक 26/1/09

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन/गुना।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन/गुना।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन/गुना।
7. जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर/बालाघाट/उज्जैन/गुना। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरेत संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। एवं संबंधित से स्वयं का संस्था प्रधान से प्रमाणित आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरांत संचालनालय को तत्काल भेजे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.